

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1 से 2

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु राशि रूपये 1183.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,83,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित प्रचार प्रसार हेतु राशि रूपये 100.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत मण्डल द्वारा कृषि पंपों/थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि रूपये 2130.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 21,30,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।